न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या 175/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00184)

1. रेवडमल पुत्र घासी, जाति बैरवा, निवासी श्यालावास तहसील नांगलराजावतान, जिला दौसा।

— अपीलान्ट

बनाम

1. लल्लूराम बैरवा पुत्र रेवड जाति बैरवा निवासी ग्राम श्यालावास तहसील नांगलराजावतान, जिला दौसा।
2. आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा, जिला दौसा राजस्थान।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा दिनांक 27.09.2017 जो प्रकरण प्रार्थना पत्र नियम 14(4) आवंटन रूल्स अनुवानी रेवडमल बनाम लल्लूराम प्रकरण संख्या 7/2012 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री विनोद कुमार विजय, वकील अपीलान्ट।
2. श्री मिश्रीलाल बैरवा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 13.11.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 27.09.2017 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 07.12.2017 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 29.05.1989 को ग्राम श्यालावास, तहसील दौसा के आराजी खसरा नम्बर 1693 रकबा 0.60 है0, 1694 रकबा 0.22 है0, 1728 रकबा 0.07 है0, 1727 रकबा 0.46 है0, कुल रकबा 1.35 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 लल्लूराम बैरवा पुत्र रेवड जाति बैरवा निवासी ग्राम श्यालावास तहसील नांगलराजावतान, जिला दौसा को किया गया था। उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी रेवडमल पुत्र घासी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.09.2017 द्वारा प्रार्थी रेवडमल पुत्र घासी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 अस्वीकार किया जाकर खारिज करने के आदेश पारित किये गये।

3. जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 27.09.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट रेवडमल पुत्र घासी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि विरुद्ध

प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 को आवंटन रूल्स की अवहेलना करके फ्राड व धोके से किया जाना बखूबी सिद्ध था किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन रूल्स को खारिज करने में कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। आवंटन की गयी भूमि की ना तो विधिवत उद्घोषणा जारी की ना ही उद्घोषणा की तामील करवायी और ना ही रेस्पोडेन्ट नंबर 1 ने कालम नंबर 1 की पूर्ति की ना ही आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज किया गया ना ही यह अंकित किया गया कि उक्त आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र कौनसी तारीख को किस अधिकारी को पेश किया गया है उक्त कोई भी बात सिद्ध नही होने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। उक्त आराजी को अपीलान्ट व अपीलान्ट के पिता 40 वर्ष से भी अधिक समय से काश्त करते चले आ रहे है तथा पेनेल्टी अदा करते आ रहे है इस समय भी उक्त आराजी पर प्रार्थी अपीलान्ट व प्रार्थी अपीलान्ट के परिवारजन का कब्जा है। अपीलान्ट के रहवास बने हुए है तथा अपीलान्ट अपने पशुओं को बांधते है। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 ने कभी भी उक्त आराजी पर काश्त नही की है ना ही रेस्पोडेन्ट नंबर 1 का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा रहा है। किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। उक्त भूमि जिसका आवंटन किया गया है वह आवंटन योग्य भूमि नही थी रेस्पोडेन्ट नंबर 1 भूमिहीन कृषक भी नही था पटवारी रिपोर्ट कौनसी तारीख में की गयी थी यह भी अंकित नही था उक्त भूमि अपीलान्ट के पिता की खातेदारी की अन्य भूमि के मध्य स्थित है। अपीलान्ट के पिता ने उक्त भूमि व अपनी खातेदारी की अन्य भूमि को मिलाकर एकचक बना रखा है व चारों और बाउण्डरी बना रखी है। उक्त भूमि बंजड भूमि थी जिसको अपीलान्ट के पिता ने काबिज काश्त बनाने के लिये काफी खर्चा किया है। उक्त भूमि अपीलान्ट व अपीलान्ट के पिता की भूमि में मध्य स्थित होने के कारण उक्त भूमि पर आने जाने का कोई रास्ता भी नही है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन रूल्स को खारिज करने में कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 को उक्त आवंटन किया गया है वरवक्त आवंटन रेस्पोडेन्ट नंबर 1 वार्ड पंच उसी पंचायत का था जिसमें आवंटन किया गया है वार्डपंच होने का फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट नंबर 1 ने सरपंच की मिलीभगत से उक्त आवंटन करवाया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नही करके और प्रार्थना पत्र को खारिज करने मे कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 27.09.2017 को सुनाया नही गया है उस दिनांक को निर्णय हेतु पत्रावली थी किन्तु निर्णय सुनाया नही गया और रीडर साहब से पूछने पर उन्होने बताया कि जब साहब निर्णय लिखवा देगे तब बता देगे अपीलान्ट काफी दिनों तक डोलता रहा किन्तु उक्त निर्णय के बारे में नही बताया गया आखिर दिनांक 06.11.2017 को अपीलान्ट द्वारा रीडर साहब से दबाव देकर पूछने पर रीडर साहब ने बताया कि आपके केस का निर्णय तो दिनांक 27.09.2017 की तारीख से ही कर दिया गया है तब अपीलान्ट ने दिनांक 06.11.2017 को ही जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय की नकल हेतु आवेदन पेश करवाया जिस पर नकल तैयार होकर दिनाक 08.11.2017 को मिली तब सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी जानकारी से अन्दर मयाद अपील पेश है। दफा 5 कानून मयाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से संलग्न है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 27.09.2017 को निरस्त फरमाने की कृपा करे व रेस्पोडेन्ट नंबर 1 को दिनांक 29.05.1989 को किये गये आवंटन को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अपीलांट द्वारा जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 27.09.2017 के विरुद्व न्यायालय श्रीमान में अपील 07.12.2017 को पेश की गई। जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। क्योकि किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील पेश करने का समय एक माह निर्धारित है तथा अपीलांट द्वारा देरी का कोई युक्तियुक्त कारण भी अंकित नहीं है जबकि निर्णय के रोज अपीलांट की और से उनका अभिभाषक विनोद कुमार विजय उपस्थित था तथा निर्णय मैं उनकी हाजरी दर्ज है। ऐसी सूरत में अपीलांट का यह कथन सरासर असत्य है कि अपीलान्ट को निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी बल्कि अपीलांट ने जान बूझकर अपील मियाद बाहर पेश की है जो प्रारम्भिक तौर पर ही मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय में 14 (4) का प्रार्थना पत्र पेश किया था वह असत्य व बेबुनियाद व निराधार तथ्यों पर पेश किया था क्योकि रेस्पोडेन्ट न० 1 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से दिनांक 29.05.1989 को भूमि खसरा नम्बर 1693, 1694, 1727, 1728 का आवंटन किया गया है तथा आवंटन विधिवत रूप से आवंटन कमेटी के सदस्यों द्वारा मजमे आम में किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट को दिनांक 28.06.1989 को विधिवत रूप से कब्जा सुपुर्द कर पट्टा जारी किया गया है इससे स्पष्ट है कि आवंटन विधिवत रुप से नियमानुसार किया गया है। अपीलांट ने अपनी उजरात में चालीस साल से कब्जा होने का बेबुनियाद तथ्य अंकित किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने एक भी दस्तावेज या जुबानी साक्ष्य पेश नहीं की जिससे उसका कब्जा साबित होता हो। अपीलांट ने यह भी उजरात में उज्र लिया है कि आवंटन के समय रेस्पोडेन्ट न० 1 वार्ड पंच था कानून में व आवंटन नियम में ऐसा कोई नियम नही है कि वार्ड पंच को भूमि का आवंटन नही किया जा सकता। खसरा न० 1693 व 1694 की बाबत एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा लल्लूराम बनाम रेवड मु०न० 11/2014 प्रस्तुत किया था जो उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान द्वारा विधिवत रुप से दिनांक 30.06.2016 को कब्जे व रिकार्ड के आधार पर रेस्पोडेन्ट न० 1 के पक्ष में डिक्री किया है। रेवडराम अपीलांट के निर्णय पर हस्ताक्षर है तथा रेवडराम इस निर्णय से पाबन्द है उक्त निर्णय आज तक प्रभाव में है। खसरा गिरदावरीयों से भी रेस्पोडेन्ट न० 1 द्वारा काश्त करना प्रमाणित है व कब्जा होना प्रमाणित है। रेस्पोडेन्ट न० 1 ने उक्त भूमि पर बैंक से लोन भी ले रखा है तथा बैंक द्वारा तमाम तथ्यों की जांच करने के बाद ही लोन दिया है। रेस्पोडेन्ट न० 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष दस्तावेज पेश किये गये जिससे भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 का कब्जा होना व खातेदार होना प्रमाणित है। जिला कलेक्टर के निर्णय के विरुद्व एक अपील सावित्री द्वारा भी प्रस्तुत की गई है जिसमें उसने अपना कब्जा पचास वर्षो से होना बताया है जबकि रेवडराम द्वारा चालीस वर्ष से कब्जा होना बताता है इस प्रकार दोनों अपीलांट में कब्जे के सम्बन्ध में विरोधाभाषी तथ्य है तथा दोनों द्वारा ही कब्जे के सम्बन्ध में जुबानी व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की। अपीलान्ट द्वारा महज रेस्पोडेन्ट न० 1 को हैरान व परेशान करने के लिए झुठे तथ्यों पर उजरात पेश किये है। प्रथम तो मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारिज किये जाने योग्य है तथा गलत तथ्यों के आधार पर भी अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमायी जावे व जिला कलेक्टर दौसा का आदेश दिनांक 27.09.2017 व आवंटन कमेटी का आदेश दिनांक 29.05.1989 बहाल रखा जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 29.05.1989 को ग्राम श्यालावास, तहसील दौसा के आराजी खसरा नम्बर 1693 रकबा 0.60 है0, 1694 रकबा 0.22 है0, 1728 रकबा 0.07 है0, 1727 रकबा 0.46 है0, कुल रकबा 1.35 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 लल्लूराम बैरवा पुत्र रेवड जाति बैरवा निवासी ग्राम श्यालावास तहसील नांगलराजावतान, जिला दौसा को

किया गया था। उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी रेवडमल पुत्र घासी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.09.2017 द्वारा प्रार्थी रेवडमल पुत्र घासी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 अस्वीकार किया जाकर खारिज करने के आदेश पारित किये गये। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 06.11.2017 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 29.05.1989 को ग्राम श्यालावास, तहसील दौसा के आराजी खसरा नम्बर 1693 रकबा 0.60 है0, 1694 रकबा 0.22 है0, 1728 रकबा 0.07 है0, 1727 रकबा 0.46 है0, कुल रकबा 1.35 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 लल्लूराम बैरवा पुत्र रेवड जाति बैरवा निवासी ग्राम श्यालावास तहसील नांगलराजावतान, जिला दौसा को किया गया था। उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी रेवडमल पुत्र घासी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने पत्रावली का अवलोकन किया और यह पाया कि अप्रार्थी ने आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी जॉच पटवारी हल्का से करवाई गई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट की गई। तदनुरूप ही आवंटन कमेटी की सिफारिश पर पूर्ण कोरम द्वारा अप्रार्थी को मजमें आम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 29.05.1989 को ग्राम श्यालावास तहसील दौसा के आ0 ख0नं0 1693 रकबा 0.60 है0, 1694 रकबा 0.22 है0, 1728 रकबा 0.07 है0, 1727 रकबा 0.46 है0, कुल रकबा 1.35 है0 भूमि का आवंटन किया गया है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2068–71 के अनुसार अप्रार्थी खातेदार अंकित है। खसरा गिरदावरी से भी स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा विवादित भूमि पर काश्त की जा रही है। इसलिए प्रार्थी द्वारा यह कहना कि उनका काफी अर्से दराज से कब्जा है, कतई गलत एवं मनगढन्त है। अपीलांट स्वंय ही कथित रूप से अतिक्रमी था। जिन्हें किसी भी प्रकार से आवंटन निरस्त करवाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आवंटन निरस्त कराना है तो तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भू आंवटन) नियम 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत कर आवंटन निरस्त करवाने की कार्यवाही करनी चाहिये। अपीलान्ट का यह कहना कि रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि पर कभी कब्जा ही नही है, यह स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलान्ट यदि भूमि पर अधिकार मानता है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 में खातेदारी हेतु दावा करना चाहिये, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र 14 (4) स्वीकार किये जाने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) आंवटन नियम 1970 खारिज किये जाने के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा और अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 29.05.89 बहाल रखे जाने के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.09.2017 पारित किये गये हैं। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2017 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.09.2017 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर